न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 18/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मनीष वैष्णव पुत्र श्री जुगल किशोर वैष्णव, फर्म :– मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर। 2. जुगल किशोर पुत्र श्री सीताराम वैष्णव, फर्म :– मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर पहुँचा वहां लगभग 3 किलोग्राम मावा एक स्टील की ट्रे में खाद्य पदार्थ मावा जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400/– देकर खरीदे तथा रूपयो की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा एक किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (250ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी– 674 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 674 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील वपडी की लगाई। एक नमूने के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एडी– 674 सील वपडी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 674 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1096/एक्ट/2017/1096 दिनांक 17.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जाँच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (1) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 674 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी को नोटिस भेजा गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित एंव निवेदन किया कि अप्रार्थी शहर की एक पुरानी एंव छोटी दुकान है तथा बाजार से उच्च कोटी का दूध खरीद कर मावा बनाते हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि नहीं करते हैं। दूध बाजार से खरीदने के कारण मावे में फैट कम पाया गया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे अतः मामला समाप्त करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 1096 दिनांक 17.11.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी है। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 8000/– अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 16/4/18 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16/4/18 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कवियां)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ 1020 - 1023 दिनांक :– 16/04/2018

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री मनीष वैष्णव पुत्र श्री जुगल किशोर वैष्णव, फर्म :– मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर।
04. जुगल किशोर पुत्र श्री सीताराम वैष्णव, फर्म :– मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

फोनः 0291-2650316 ई-मेलः ADMCity128@gmail.com